प्रेस नोट थाना रोजा

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 25.09.2025

"हाईवे सुरक्षा हेतु संचालित पेट्रोलिगं पार्टी थाना रोजा पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य"

हाईवे सुरक्षा हेतु संचालित पेट्रोलिगं पार्टी थाना रोजा पुलिस द्वारा विद्युत तार चोरी करने वाले गिरोह के 04 सदस्यों को मय 10 बण्डल 33KV विद्युत एल्युमिनियम तार जिसका वजन लगभग 2-2.5 कुन्टल व एक अदद 315 बोर नाजायज तमंचा मय 02 अदद 315 बोर जिंदा कारतूस व एक अदद Tata Mahindra pickup के साथ किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहांपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना रोजा के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान अपराध में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में आज थाना रोजा हाईवे पेट्रोलिंग पार्टी को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण

आज दिनांक 25.09.2025 को थाना रोजा हाईवे सुरक्षा हेतु नियुक्त पेट्रोलिंग पार्टी (पुलिस) को समय 00.18 बजे पर लखनऊ सीतापुर हाईवे पर गश्त के दौरान लखनऊ सीतापुर हाइवे ग्राम चकभिटारा के पास पावर ग्रिड से आगे 50 मी0 की दूरी पर कच्चे रास्ते से एक व्यक्ति नंगे पैर चप्पल हाथ में लेकर आता दिखाई दिया शक होने पर उक्त व्यक्ति को पुलिस पार्टी द्वारा टोका गया तो उक्त व्यक्तित एकदम पीछे मुडकर जंगल की तरफ भागने लगा। उक्त व्यक्ति को पुलिस पार्टी द्वारा थोडी दूर पर भागकर पकड लिया तथा अन्दर जंगल की तरफ जा रहे रास्ते पर सर्चिंग की गयी तो एक लोडर गाडी खडी मिली तथा उसमें तीन व्यक्ति विद्युत तार लोड कर रहे थे पुलिस पार्टी को देखकर उक्त तीनों ने भागने का प्रयास किया किन्तु पुलिस पार्टी द्वारा सभी अभियुक्तों को घेर लिया लेकिन घने जंगल का फायद उठाकर तीन व्यक्ति मौके से भाग गये जबकि चार अभियुक्तो **1.रामविकास पुत्र राममुरारी** नि0ग्रा0 मउ बासख, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहापुर उम्र करीब 21 वर्ष **2. राहुल पुत्र दिलीप** नि0-D71,भगत सिंह पार्क, थाना समयपुर बदली, सिरसपुर दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष **3. परविन्दर पुत्र प्रीतम सिंह** नि0- E-89/2, भगत सिंह पार्क, थाना समयपुर बदली, सिरसपुर दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष **4. राजू पुत्र लल्लन सिंह** नि0 D-63 ,भगत सिंह पार्क, थाना समयपुर बदली, सिरसपुर दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 10 अदद बंडल 33KV विधुत एल्युमिनियम तार वजन (लगभग 2 से 2.5 कुन्टल) व एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर एवं एक अदद Tata Mahindra pickup गाडी सं0-DL1LAM9529 को बरामद किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। श्रीमान पुलिस

अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा हाईवे सुरक्षा हेतु पेट्रोलिंग पार्टी थाना रोजा की पुलिस टीम को इस सराहनीय कार्य पर ₹15,000/- के पुरस्कार की घोषणा की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. रामविकास पुत्र राममुरारी नि00ग्रा0 मउ बासख, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र करीब 21 वर्ष
2. राहुल पुत्र दिलीप नि0-D71,भगत सिंह पार्क, थाना समयपुर बदली, सिरसपुर दिल्ली, उम्र करीब 30 वर्ष
3. परविन्दर पुत्र प्रीतम सिंह नि0- E-89/2, भगत सिंह पार्क, थाना समयपुर बदली, सिरसपुर दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष
4. राजू पुत्र लल्लन सिंह नि0 D-63 ,भगत सिंह पार्क, थाना समयपुर बदली, सिरसपुर दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष

फरार अभियुक्तगण का विवरण

1. अरुण पुत्र नामालूम निवासी ग्राम मऊवासक, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।
2. गोपी पुत्र नामालूम निवासी ग्राम मऊवासक, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।
3. अमित पुत्र पण्डित निवासी ग्राम मऊ वासक, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 516/25 धारा 303(2)/317(2) बीएऩएस व 3/25 आयुध अधिनियम व 136 विधुत अधिनियम 2003 थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी का स्थान व समय

दि0 25.09.2025 समय 00.18 बजे, लखनऊ सीतापुर हाइवे ग्राम चकभिटारा के पास पावर ग्रिड से आगे 50 मी0 की दूरी पर कच्चे रास्ते

पूछताछ का विवरण:

अभियुक्त रामविकास पुत्र राममुरारी नि0ग्रा0 मऊबासक थाना सदर बाजार जनपद शाहजहापुर द्वारा बताया कि मै तथा हमारे ही गांव के अरुण व गोपी तथा अमित विद्युत विभाग की उन लाइनों की रेकी करते हैं जिन पर अभी विद्युत संचालित नही है। हम ऐसी लाइनों को देखकर रात्रि के समय उनका तार काटकर जंगल में इकट्ठा कर देते हैं जिसे दिल्ली के राहुल, परविन्दर व राजू को बेच देते हैं कल हमने तार काटकर जंगल के कच्चे सुनसान रास्ते पर डम्प कर दिया था जिसका सौदा हमने दिल्ली के राहुल, परविन्दर व राजू से कल दिन में ही कर लिया था और रात्रि में यह तीनों लोग लोडर गाडी लेकर जंगल में उसे खरीदने आये थे जो रात्रि में मेरे साथ ही पकडे गये हैं। हमारे गांव के गोपी, अरुण व अमित मौके से घने जंगल का फायदा उठाकर भाग गये थे। हम उक्त एल्युमिनियम तार दिल्ली के राहुल, परविन्दर एवं राजू को 60-70 रुपये प्रति किलों की दर से बेच देते थे। अभियुक्त राहुल, परिवन्दर व राजू उपरोक्त द्वारा संयुक्त रुप से बताया गया कि हम इस एल्युमिनियम तार को दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर ऊँची दरों पर बेच देते थे जिससे हमें अच्छा खासा मुनाफा हो जाता था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार
2. उ0नि0 श्री सुमित कुमार
3. उ0नि0 श्री विनीत कुमार
4. उ0नि0 श्री शम्भूदयाल भार्गव
5. का0 2625 नितिन कुमार
6. का0 2621 रितेश कुमार
7. का0 विशाल अष्टवाल
8. का0 2625 नितिन कुमार